

दिल्ली विकास प्राधिकरण  
(वित्त एवं व्यय विभाग)

सं.-एफ.ई.16(35)2009/डी.डी.ए./पार्ट-III/528

दिनांक:- 09-09-2016

वित्त एवं व्यय परिपत्र सं. 19/2016

उपाध्यक्ष दि0वि0प्रा0 प्राधिकरण के संकल्प सं0 208 दिनांक 25-02-1967 के माध्यम से उनमें निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित मदों/कार्यों आदि के संबंध में विभाग के अधिकारियों को वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित करते हैं:-

क्रम सं0	मद का विवरण	प्रत्यायोजित शक्तियां	वित्तीय सीमा
1.	दि0वि0प्रा0 वाहनों की मरम्मत एवं रखरखाव	उपाध्यक्ष वित्त सदस्य मुख्य लेखाधिकारी आयुक्त एवं सचिव निदेशक (नजारत) मुख्य अभियन्ता	पूर्ण शक्ति पूर्ण शक्ति 01 लाख रू0 वार्षिक तक (प्रति वाहन) 50,000/-रू0 वार्षिक तक (प्रति वाहन) 25,000/-रू0 वार्षिक तक (प्रति वाहन) 20,000/-रू0 वार्षिक तक (प्रति वाहन)
2.	स्टाफ कार चालकों सहित कर्मचारियों को ओ.टी.ए (कार्य दिवस एवं अवकाश दोनों के लिए)	उपाध्यक्ष वित्त सदस्य अभियन्ता सदस्य प्रधान आयुक्त मुख्य लेखाधिकारी आयुक्त एवं सचिव	पूर्ण शक्ति पूर्ण शक्ति पूर्ण शक्ति पूर्ण शक्ति पूर्ण शक्ति पूर्ण शक्ति
3.	कंप्यूटर स्टेशनरी की खरीद एवं रखरखाव	उपाध्यक्ष वित्त सदस्य	पूर्ण शक्ति पूर्ण शक्ति

		मुख्य लेखाधिकारी आयुक्त एवं सचिव निदेशक (नजारत) निदेशक (प्रणाली)	8.00 लाख रू0 वार्षिक तक 6.00 लाख रू0 वार्षिक तक 3.00 लाख रू0 वार्षिक तक 2.00 लाख रू0 वार्षिक तक <b>टिप्पणी:-</b> (1) मुख्य लेखाधिकारी, आयुक्त एवं सचिव तथा निदेशक (नजारत) के संबंध में अधिकतम सीमा की निगरानी के लिए निदेशक (नजारत) एक रजिस्टर रखेंगे। (2) निदेशक (प्रणाली) अपनी अधिकतम वार्षिक सीमा के संबंध में रजिस्टर रखेंगे।
4.	<b>जांच अधिकारियों एवं प्रस्तुति अधिकारियों को पारिश्रमिक की संस्वीकृति/भुगतान</b>	मुख्य सतर्कता अधिकारी के अलावा सभी विभागाध्यक्ष निदेशक (सतर्कता)	अनुमोदित दरों की सीमा तक पूर्ण शक्ति अनुमोदित दरों की सीमा तक पूर्ण शक्ति (मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा यथा इच्छित)

उपर्युक्त मदों/कार्यों पर व्यय इस शर्त के अन्तर्गत वहन होगा कि व्यय पूरा करने के लिए बजट प्रावधान विद्यमान हो तथा सामान्य वित्तीय नियमों (जी.एफ.आर.) में उल्लिखित संगत प्रावधानों तथा भारत सरकार और दि0वि0प्रा0 द्वारा समय-समय पर जारी अन्य आदेशों का अनुपालन हो।

(संतोष कुमार)  
मुख्य लेखा अधिकारी